



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1948 (श10)
(सं0 पटना 1094) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2026

एस0ओ0 215 दिनांक 09 सितम्बर 2026—बिहार सिविल न्यायालय अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम संख्या-12, 2026) की धारा-9 की उपधारा-(1) एवं धारा-10 की उपधारा-1 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम सं0-46) की धारा-7 की उपधारा-(2) एवं धारा-8 की उपधाराएँ- (1) एवं (2) तथा धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार राज्यपाल ने -

- वर्तमान जहानाबाद न्यायिक जिला से एक पृथक न्यायिक जिला गठित करने; एवं
- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरवल का एक न्यायालय स्थापित करने की कृपा की है;
- इसका मुख्यालय अरवल में होगा;
- जिला एवं सत्र न्यायालय, अरवल, जिला अरवल की राजस्व-सीमा के भीतर उद्भूत मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग दिनांक-10 सितम्बर, 2026 के प्रभाव से करेगा तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद की अधिकारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक-10 सितम्बर, 2026 से नहीं रह जाएगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-07/2026/7423/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव, बिहार।

9 सितम्बर 2026

एसओ 215 दिनांक 09 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-07/2026/7423/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव, बिहार।

The 9th September 2026

S.O. 215 dated 9th September 2026—In exercise of the powers conferred by Sub-section- (1) of Section 9 and Sub-Section (1) of Section 10 of the Bihar Civil Courts Act., 2026 (Bihar Act No. 12, 2026) and Sub-Section (2) of Section 7 and Sub-Sections (1) and (2) of Section 8 and Section 9 of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Act. No.-46 of 2023) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the Subject, the Governor of Bihar is pleased to-

- (i) constitute a separate Judicial District from present Jehanabad Judicial District; and
- (ii) establish a Court of Principal District and Sessions Judge, Arwal;
- (iii) the Headquarters will be at Arwal.
- (iv) The District and Sessions Court, Arwal will exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue limits of Arwal District with effect from 10th September, 2026 and Principal District and Sessions Judge, Jehanabad will cease to have jurisdiction on such matter from 10 September, 2026.

(File No.-A/Act-07/2026/7423/J.)

By Order of the Governor of Bihar

Balram Dubey,**Secretary to the Government of Bihar.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1094-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>